राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(32)राज/वाद/08 पार्ट–7 जयपुर, दिनांक 22/07/2025

:: आदेश ::

इस विभाग के अधीनस्थ राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर, लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं विशिष्ठ लोक अभियोजकगण के कार्यालयों में कार्यात्मक आवश्यकता होने पर मंत्रालयिक संवर्ग के कनिष्ठ सहायक/वरिष्ठ सहायक/सहायक प्रशासनिक अधिकारी/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी एवं संस्थापन अधिकारी के रिक्त पदों तथा निजी सचिव संवर्ग के निजी सहायक ग्रेड–I/अतिरिक्त निजी सचिव/निजी सचिव एवं वरिष्ठ निजी सचिव के रिक्त पदों के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.03.2023 में विहित प्रावधानानुसार निर्धारित समेकित पारिश्रमिक पर एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो तक, के लिये सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा सेवा लिये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

ह०
(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (वादकरण)।
2 समस्त/संबंधित जिला कलक्टर को निर्देशित किया जाता है कि उनके जिले में स्थित इस विभाग के अधीनस्थ उपरोक्त कार्यालयों में आवश्यकतानुसार उपरोक्त रिक्त पदों के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.03.2023 में विहित प्रावधानानुसार निर्धारित समेकित पारिश्रमिक पर एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो तक, के लिये सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा सेवा उपलब्ध करावें।
3 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर को उनके कार्यालय में आवश्यकतानुसार उपरोक्त रिक्त पदों के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.03.2023 में विहित प्रावधानानुसार निर्धारित समेकित पारिश्रमिक पर एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो तक, के लिये सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा सेवा लिये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
4 संबंधित लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं विशिष्ठ लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार उनके कार्यालय में रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा सेवा हेतु संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय से संपर्क करें।
5 संबंधित कोषाधिकारी.....................।
6 सहायक लेखाधिकारी–I/आहरण एवं वितरण अधिकारी, वादकरण।
7 रक्षित पत्रावली।

22/7/25

(सुरेश चंद बंसल)
शासन सचिव, विधि